कार्यालय
मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश
लोक भवन, लखनऊ

संख्या 75-चौंतीस/लो०शि०अनु०-5/2023 दिनांक 13/01/2023

RTI ऑनलाइन

मा० मुख्यमंत्री जी की अपेक्षानुसार उत्तर प्रदेश राज्य में सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आवेदनों/प्रथम अपीलों को ऑनलाइन प्राप्त कर निस्तारित किए जाने हेतु एक वैब पोर्टल https://rtionline.up.gov.in विकसित किया गया है। इस पोर्टल पर कार्य करने हेतु विभिन्न स्तरों के कार्यालयों में समन्वय (नोडल) जन सूचना अधिकारी नामित किए गए हैं तथा उन्हें यूजर ID एवं पासवर्ड उपलब्ध कराए गए हैं।

2- विभिन्न स्तरो पर प्राप्त हो रहे RTI आवेदनों/प्रथम अपीलों की समीक्षा में यह प्रतीत होता है कि अभी भी ऑफलाइन RTI आवेदनों/प्रथम अपीलों की संख्या में अपेक्षित कमी नहीं आई है। ऑफलाइन आवेदनों के स्थान पर ऑनलाइन आवेदनों को प्रोत्साहित किए जाने हेतु उक्त वैब पोर्टल का आमजन के मध्य व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना आवश्यक है।

3- मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा भी जनसूचना से सम्बन्धित ऑनलाइन वैब पोर्टल https://rtionline.up.gov.in का व्यापक प्रचार प्रसार कराए जाने की अपेक्षा की गई है।

4- पोर्टल के प्रचार-प्रसार हेतु निम्नांकित उपाय किए जा सकते हैं:-

- विभागीय पोर्टलों पर https://rtionline.up.gov.in का लिन्क प्रमुखता से उपलब्ध कराया जाए।
- अपने कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों के जन सूचना अधिकारियों (PIOs) को निर्देश निर्गत किए जाएं कि जनसूचना के आवेदनों का उत्तर/सूचना देते समय निम्नलिखित टैक्स्ट को नोट के रूप में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाए-

  "उ०प्र० में सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आवेदनों/प्रथम अपीलों को ऑनलाइन प्राप्त कर निस्तारित किए जाने हेतु एक वैब पोर्टल https://rtionline.up.gov.in विकसित किया गया है। भविष्य में जनसूचना के लिए आवेदन/प्रथम अपील करने हेतु आप उक्त वैब पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं।"

13.01.2022
(एस०पी० गोयल)
अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री
उत्तर प्रदेश शासन।

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त पुलिस आयुक्त/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

संख्या- /चौंतीस/ लो०शि०अनुभाग-5/2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- प्रमुख सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को इस आशय से प्रेषित कि कृपया विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यथा फेसबुक, ट्विटर, यू-ट्यूब आदि पर विभाग के आधिकारिक एकाउन्ट निर्मित कर प्रदेश की नई पीढ़ी के मध्य ऑनलाइन RTI के वैब पोर्टल का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाना सुनिश्चित करें।

13.01.2022